# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 52/2018

**श्री कजोड़ पुत्र सुवालाल जाति रेगर निवासी सरवाड़, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर**

**– प्रार्थी**

**1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।**

**– अप्रार्थी**

**निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट**

वकील 1. श्री अजय कुमार सैनी, प्रार्थी।

**निर्णय** दिनांक 29.11.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजीयात मौजा ग्राम सरवाड़ पटवार हल्का सरवाड़ तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

| खाता सं. | खसरा नं. | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|
| 490–474 | 3820/2 | 02–02–00 | छापर |
| 534–483 | 3822/2 | 04–16–00 | बा. 2 |
| | 3875/2 | 04–16–00 | बा. 3 |
| | 3877 | 03–06–00 | बा. 1 |

यह कि उक्त आराजीयात प्रार्थी की पैतृक कब्जे स्वामित्व की आराजीयात है तथा उक्त आराजीयात खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी का हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिस पर प्रार्थी निरंतर एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। यह कि उक्त आराजीयात कृषि उपज प्राप्त कर अपने परिवार का पालन कर रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के पिता के नाम चली आ रही है तथा भूलवश व सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम सुवा वल्द मांगू के स्थान पर सूखा वल्द मांगू दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी के सभी रिकॉर्ड व दस्तावेजों में तथा अन्य कृषि आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सुवा है जो सही है तथा उक्त आराजीयात खात संख्या 534–483 में प्रार्थी के पिता सुवालाल के नाम थी। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 27.03.2011 को हो गया है एवं स्वर्गवास होने पश्चात नामा. 937 नि. दि. 06.01.2012 विरासत से सुवा वल्द मांगू फौत के स्थान पर हीरा पत्नी सुवा, कजोड़ वल्द सुवा, पांची पुत्री सुवा कौम रेगर सा. सरवाड़ खातेदार अंकन स्वीकार हुआ तथा नामान्तरण सं. 1398 दिनांक 25.01.2017 में रहन मुक्त कजोड़ पिता सुवा

माली का हिस्सा बैंक एस.बी.बी.जे. सरवाड से रहन मुक्त का अंकन स्वीकार हुआ। जिसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा भूलवश व सहवन से जाति रेगर के स्थान पर माली हो गया था जो कि गलत इन्द्राज है तथा गलत इन्द्राज दुरूस्त होने योग्य है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में कजोड पुत्र सुवा है जबकि भूलवश व सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में सुखा वल्द मांगू व रहन मुक्त के नामान्तरण में कजोड पिता सुवा माली कर दिया है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस कारण से प्रार्थी के कृषि आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में विरासत का नामान्तरण नहीं खुल पा रहा है। इस वजह से ग्राम जगपुरा के तन में स्थित वर्णित आराजीयात जो की पैरान सं. 01 में अंकित है सुखा वल्द मांगू के स्थान पर सुवा वल्द मांगू व रहन मुक्त के अंकन में कजोड पिता सुवा माली के स्थान पर कजोड पिता सुवा रेगर का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। अप्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड का संधारण करते है एवं भूमि का लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार फरिक मुकदमा होने से अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय को श्रवणधिकार व क्षेत्राधिकार है।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए:–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सरवाड़ संवत् 2070–2073 खाता सं. नया 490
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सरवाड़ संवत् 2070–2073 खाता सं. नया 534
- प्रतिलिपी आधार कजोडमल
- प्रतिलिपी मृत्यु प्रमाण पत्र सुवालाल रेगर

प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार सरवाड़ द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पर बहस सुनी गई। बहस के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थना पत्र में चाहे अनुतोष बाबत् गहन विधिक मनन किया गया। भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अनुसार " भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे।" प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा केवल जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता सं. नया 490 व खाता सं. नया 534 की प्रस्तुत कर खाता सं. 490 में सुखा वल्द मांगू के स्थान पर सुवा वल्द मांगू करने हेतु अनुतोष चाहा है। परन्तु प्रार्थी यह साबित करने हेतु अनुतोष चाहा है। परन्तु प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि किस प्रकार सुखा वल्द मांगू का अंकन गलत दर्ज हुआ। प्रार्थी द्वारा कोई पूर्ववर्ती राजस्व रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित हो कि राजस्व रिकॉर्ड में सुखा वल्द मांगू का अंकन गलत दर्ज है। चूंकि प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने का भार प्रार्थी पर है जिसे साबित करने में प्रार्थी असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़



Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.01.17 15:42:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: